UPAD050003602022

न्यायालय सिविल जज, (वरि.श्रेणी), इलाहाबाद।

पीठासीनः अमन कुमार श्रीवास्तव (उ.प्र. न्यायिक सेवा)

मूल वाद संख्या 41 सन् 2022

शितान्शू शर्मा उम्र लगभग 44 वर्ष पुत्र स्व0 कृष्ण नारायण शर्मा, निवासी–195/71, टैगोर टाउन, प्रयागराज, तहसील सदर, जिला प्रयागराज।

..... वादी

बनाम

1. श्रुति मिश्रा उम्र लगभग 47 वर्ष, पत्नी सुप्रिया मिश्रा निवासिनी– फ्लैट नं0 12 एच0आई0जी0 ग्रीन कालोनी, 3 सर्कुलर रोड, परगना व तहसील सदर, जिला प्रयागराज।

..... प्रतिवादिनी।

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादिनी के विरूद्ध उदघोषणा हेतु प्रस्तुत किया है।

वादी का वादपत्र कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सगे भाईकृबहन हैं व इस वाद के पक्षकारों से संबंधित प्रासंगिक वंशावली जो विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी प्रासंगिक है निम्न प्रकार है–

उपरोक्त वंशावली में स्व0कृष्ण नारायण शर्मा जो पक्षकारों के पिता थे 14.09.2021 को उनका निधन हो गया एवं पक्षकारों की माता स्व0 किरण लता शर्मा का निधन 05.02.2021 को हुई। छोटे भाई प्रशांत शर्मा का निधन दिनांक 21.10.2014 को हो गया और मृत्यु के समय वह अविवाहित था। प्रतिवादिनी वादी की बहन है जो विवाहित है एवं अपने पती एवं परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। पक्षकारों के पिता मकान संख्या 195/71, टैगोर टाउन इलाहाबाद के स्वामी थे एवं उनके द्वारा एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 04.10.2018 को उपरोक्त मकान संख्या के सम्बन्ध में वादी के पक्ष में दिनांक 06.10.2018 को सब रजिस्टार सदर इलाहाबाद के कार्यालय में बही संख्या 3, जिल्द संख्या 406, पेज संख्या 197 से 206, क्रमांक संख्या 643 पर दर्ज हुआ। दिनांक 07.03. 2011 को वादी एवं मृतक प्रशांत शर्मा जो वादी का भाई था ने मकान

संख्या 77A, टैगोर टाउन, इलाहाबाद को जरिए पंजीकृत विलय विलेख क्रय किया गया। दुर्भाग्य से छोटे भाई की मृत्यु दिनांक 21.02.2014 के स्वास्थ्य कारणों से हो गयी, क्योंकि उसे सूगर की गम्भीर बीमारी थी। किन्तु मृत्यु से पहले मृतक प्रशांत शर्मा द्वारा दिनांक 22.08.2012 को मकान संख्या 77A, टैगोर टाउन, इलाहाबाद में अपने अंश की वसीयत वादी के पक्ष में की गयी। इस प्रकार वादी मकान संख्या 77A, टैगोर टाउन, इलाहाबाद का एक मात्र स्वामी है वादी उपरोक्त वर्णित मकानों में कब्जे में निर्विवाद रूप से अपने पिता एवं भाई द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर कब्जे में रहा है एवं प्रश्नगत मकानों में वादी का एक मात्र स्वामित्व है और वह अपने सभी सम्पत्ति या अधिकार उपरोक्त वर्णित मकानों के सम्बन्ध में उपभोग करता है इसका विस्तार विवरण वादपत्र के अन्त में दर्शित है। प्रतिवादिनी वादी की सगी बहन है और उसका उपरोक्त वर्णित दोनों मकानों में कोई अधिकार नहीं है वादी द्वारा जब अपना नाम नगर निगम के दस्तावेजों में प्रश्नगत मकान के सापेक्ष चढ़ाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो नगर निगम के अधिकारियों द्वारा यह कहा गया है कि प्रश्नगत मकान के सम्बन्ध में न्यायालय से डिक्री प्राप्त करके उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए जिससे उसका नाम नगर निगम के अभिलेखों में प्रश्नगत मकान के सम्बन्ध में दर्ज हो सके।

प्रस्तुत मामले में प्रतिवादिनी हाजिर अदालत आयी एवं उसके द्वारा कागज संख्या 10क के माध्यम से अपना लिखित कथन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं उक्त लिखित कथन में प्रतिवादिनी द्वारा वादपत्र में किए गए कथनों को स्वीकार करते हुए ये कथन किया गया कि प्रतिवादिनी को प्रश्नगत मकानों में कोई हित निहित नहीं है एवं वादी प्रश्नगत मकान के कब्जे में है इसके उपरान्त दिनांक 26.04.2023 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किए गए हैं–

1. क्या वादी वाद पत्र में वर्णित आधारों पर याचित अनुतोष पाने का अधिकारी है?
2. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?
3. क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
4. वादी किस अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वादी अपने अभिकथनों को साबित करने हेतु वादी की ओर से सूची 7ग से पंजीकृत वसीयत दिनांक 06.10.

2018 8क/1 लगायत 8क/8, प्रशांत शर्मा द्वारा वादी के पक्ष में मकान संख्या 77ए, टैगोर टाउन, इलाहाबाद में अपने हिस्से के संबंध में तैयार वसीयतनाम दिनांकित 22.08.2012 कागज सं0 8क/9 व 8क/10, खसरा नगर निगम कागज सं0 8क/11 व 8क/12, विक्रय पत्र दिनांकित 07.03.2011 की सत्य प्रतिलिपि कागज सं0 9ग/1 लगायत 9क/16, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति 9ग/17 लगायत 9ग/19 एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्ल्यू0–1 व डी0डब्ल्यू0–2 दाखिल किये गये हैं।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–1</u>

1. क्या वादी वाद पत्र में वर्णित आधारों पर याचित अनुतोष पाने का अधिकारी है?

यह वाद बिन्दु वादी के अभिकथनों पर एवं अभिवचनों पर विरचित किया गया है एवं इसे सिद्ध करने का भार वादी पर है–

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में किए गए कथन के माध्यम से मकान सं0 195/71, टैगोर टाउन, परगना व तहसील सदर जिला प्रयागराज मकान संख्या 77A, टैगोर टाउन, परगना व तहसील सदर जिला प्रयागराज के सम्बन्ध में इस आशय का उद्घोषणा चाहा है कि वह इन मकानों का एक मात्र कब्जा धारी होने के कारण निर्विवाद रूप से इन मकानों का स्वामी है। वादी द्वारा मुख्य रूप से अपने स्वामित्व के बाबत जो दस्तावेज दाखिल किए गए हैं उनमें उसके पिता द्वारा की गयी वसीयत दिनांकित 04.10.2018 एवं अपने मृतक भाई के द्वारा की गयी वसीयत दिनांकित 22.08.2012 के माध्यम से अपने प्रश्नगत मकानों का स्वामी एवं एक मात्र कब्जा धारी होना कहा है।

प्रतिवादिनी द्वारा भी अपने प्रतिवाद पत्र के माध्यम से वादी द्वारा वाद पत्र में किए गए कथनक एवं दाखिल दस्तावेजों को स्वीकार किया है एवं अपने मौखिक साक्ष्य में भी इसका समर्थन किया है। प्रश्नगत वसीयतनामें पंजीकृत है एवं विधि की यह उपधारणा है कि पंजीकृत दस्तावेज, प्रक्रिया का पालन करते हुए पंजीकृत किये गए है ऐसी धारणा की जा सकेगी। वादी द्वारा दाखिल दस्तावेजों, प्रतिवादिनी के किए गए कथनों एवं मौखिक साक्ष्य के आलोक में वादी यह वाद बिन्दु सकारात्मक रूप से अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2 व 3</u>

2. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

3. क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

ये वाद बिन्दु प्रतिवादी द्वारा किए गए अभिकथनों के आधार पर विर्चित किया गया है किन्तु दौरान बहस व विचारण प्रतिवादी द्वारा इन बिन्दुओं के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी व मौखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त के आलोक में यह वाद बिन्दु नकारात्मक निर्णित किए जाने योग्य है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4–</u>

वादी किस अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

चूंकि वादी द्वारा अपना वाद प्रतिवादिनी के स्वीकृति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर साबित करने में सफल रहा है अतः वादी अनुतोष संख्या 1 के सन्दर्भ में दावा वादी आज्ञप्त किए जाने का अधिकारी है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर दावा वादी आज्ञप्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी का वाद आज्ञप्त किया जाता है। वादी प्रश्नगत सम्पत्ति मकान सं0 195/71, टैगोर टाउन, परगना व तहसील सदर जिला प्रयागराज एवं मकान संख्या 77A, टैगोर टाउन, परगना व तहसील सदर जिला प्रयागराज का मालिक काबिज घोषित किया जाता है। वादपत्र में वर्णित विवरण सम्पत्ति डिक्री का अंश होगा। उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

दिः 22.08.2025

(अमन कुमार श्रीवास्तव)
सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी),
इलाहाबाद।
(J.O. Code: UP 2087)

निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करते हुए सुनाया गया।

दिः 22.08.2025

(अमन कुमार श्रीवास्तव)
सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी),
इलाहाबाद।
(J.O. Code: UP 2087)

Digitally signed by AMAN KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2025.08.22 15:15:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court